# मो0 सोहैल, भा0प्र0से0, जिलाधिकारी, मधेपुरा की अध्यक्षता में दिनांक 27.12.2016 को आयोजित जिला आपूर्ति विभाग के कार्यो की समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति :

पंजी के अनुसार।

कार्यवाही :

सर्वप्रथम जिलाधिकारी द्वारा उपस्थित सभी पदाधिकारियों का बैठक में स्वागत किया गया। तत्पश्चात् बैठक की कार्यवाही प्रारंभ की गई।

(1) घरेलू एवं व्यवसायिक गैसः-

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि प्रतिवेदित माह में सभी गैस एजेन्सियों के भंडार व्यवसायिक एवं घरेलू गैस अन्त शेष अधिक पाया गया। भंडार में अधिक संख्या में उक्त गैस पाये जाने के संबंध पृच्छा किये जाने पर गैस एजेन्सियों के प्रोपराईटर द्वारा स्पष्ट जानकारी नही दिया गया।

जिलाधिकारी द्वारा सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, मधेपुरा जिला को निदेशित किया गया कि वे अपने क्षेत्रान्तर्गत गैस एजेन्सियों की प्रत्येक माह औचक निरीक्षण करना सुनिश्चित करे तथा गैस एजेन्सियों के ऑचक निरीक्षण के क्रम में गैस एजेन्सी से सम्बद्ध कम से कम 10 उपभोक्ताओं का ब्यान भी प्राप्त करे कि उन्हें एजेन्सी से गैस समय पर मिलता या नही? निरीक्षण के दौरान अनियमिता पाये जाने पर संबंधित गैस एजेन्सी के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई हेतु प्रतिवेदित करें। साथ ही निरीक्षण प्रतिवेदन प्रत्येक माह के 05 तारीख को जिला आपूर्ति पदाधिकारी को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायेगें, ताकि आपूर्ति संबंधी मासिक समीक्षात्मक बैठक में इसकी समीक्षा की जा सकें।

(2) गैस छापामारी :-

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि प्रखंड आपूर्ति,सिंहश्वर/मधेपुरा/गम्हरिया/घैलाढ़ को छोड़कर किसी भी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा गैस छापामारी से संबंधित प्रतिवेदन नही दिया गया है,। इस लापरवाही को गम्भीरता से लेते हुए जिलाधिकारी द्वारा संबंधित प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि वे गैस छापामारी प्रतिवेदन नही समर्पित करने के निमित्त 24 घंटे के अन्दर स्पष्टीकरण समर्पित करे। साथ ही यह भी निदेश दिया गया कि वे अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत व्यवसायिक सिलेंडर की बिक्री बढ़ाने हेतु अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत अवस्थित होटलों एवं सड़क के किनारे में अवस्थित चाय-नास्ता की दुकानों में गहन छापामारी एवं अवैध रूप से रिफिलिंग करने वाले दुकानों की गहन छापामारी करना सुनशिचित करें कि उनके द्वारा व्यावसायिक सिलेंडर का व्यवहार किया जा रहा है अथवा नही। यदि उनके होटल/ चाय-नास्ता की दुकानों में एल0पी0जी0 सिलेण्डर (घरेलू गैस) का उपयोग करते पकड़ा जाय तो उनके विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम के संगत प्रावधानों के अधीन जप्त कर प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई की जाय एवं प्रत्येक प्रतिवेदन उपलब्ध कराई जाय। साथ ही अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा/उदाकिश्नुगंज को निदेश दिया कि बाजार क्षेत्र/देहाती क्षेत्र में गुप्त रूप से एल0पी0

जी0 सिलेंडर के माध्यम से अवैध रिफलिंग करने वाले की औचक छापामारी किया जाय एवं पकड़े जाने पर दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई करना सुनिश्चित किया जाय।

(3) बिद्यालय में व्यवसायिक गैस की खपतः-

बैठक में गैस एजेन्सी के प्रोपराईटर द्वारा बताया गया कि विद्यालय हेतु व्यवसायिक गैस कनेक्शन लिया गया है, परन्तु व्यवसायिक गैस नही ले जाते है। इसे गम्भीरता से लेते हुए जिलाधिकारी द्वारा एम0डी0एम0 प्रभारी पदाधिकारी को निदेशित किया गया कि वे अभिलंब जॉच कर प्रतिवेदन जिला आपूर्ति पदाधिकारी को उपलब्ध करावे कि कितने विद्यालय में नियमित रूप से व्यवसायिक गैस का उपयोग किया जा रहा है एवं कितने विद्यालय में गैस का उपयोग नही किया जा रहा है। व्यवसायिक गैस का उपयोग नही करने वाले विद्यालय के प्रभारी पदाधिकारी के विरूद्ध नियमानुसार अग्रेतर कार्रवाई किया जाय।

(4) किरासन तेलः-

मधेपुरा जिला अन्तर्गत विभिन्न सरकारी संस्था हेतु प्रत्येक उपावंटित किरासन तेल के संबंध में जिलाधिकारी द्वारा जिला आपूर्ति पदाधिकारी, मधेपुरा को निदेशित किया गया कि वे प्रखंडवार/नगर निकायवार विद्युत आपूर्ति के संबंध में Peak/ non peak hour wise विद्युत उपलब्धता (माह जनवरी,2016 से माह नवम्बर,2016 तक) की प्रतिवेदन की मांग कार्यपालक अभियंता (विद्युत) मधेपुरा से करे ताकि विभिन्न संस्थाओं को आपूर्ति की जाने वाले किरासन तेल के आवंटन के संबंध में निर्णय लिया जा सकें।

(5) खाद्यान्न की उठाव एवं वितरणः-

पी0एच0एच0 एवं अन्त्योदय योजनान्तर्गत खाद्यान्न उठाव एवं वितरण की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि राज्य खाद्य निगम, मुरलीगंज/आलमनगर/मधेपुरा के गोदाम से प्रतिवेदित माह (माह नवम्बर,0216) में पी0एच0एच0 एवं अन्त्योदय अन्न योजनान्तर्गत बैकलॉग माह के खाद्यान्न का भी उठाव कराया गया गया। बैगलॉग माह के खाद्यान्न उठाव को गम्भीरता से लेते हुए जिलाधिकारी सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी/सभी सहायक गोदाम प्रबंधक राज्य खाद्य निगम, मधेपुरा जिला को निदेशित किया गया कि भविष्य में यदि बैकलॉग माह के खाद्यान्न के उठाव जिला आपूर्ति पदाधिकारी से बिना अनुमति प्राप्त कर किया जाता है तो संबंधित प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी/सहायक गोदाम प्रबंधक इसके लिए पूर्ण रूपेण जिम्मेवार माने जायेगें एवं इस निमित्त संबंधित प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के विरूद्व विभागीय कार्रवाई हेतु प्रपत्र "क" गठित किया जायेगा। साथ ही सहायक गोदाम प्रबंधक के विरूद्व कठोर कार्रवाई की जायेगी।

इसी क्रम में जिलाधिकारी द्वारा खाद्यान्न वितरण की समीक्षा कर सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को निदेशित किया गया कि इस जिला क्षेत्रान्तर्गत लक्षित जन वितरण प्रणाली के दुकानदारो को प्रत्येक माह आवंटन के विरूद्व राज्य खाद्य निगम के गोदाम से आपूर्ति किये गये खाद्यान्न का शतप्रतिशत ससमय लाभूको के बीच वितरण कराना सुनिश्चित करें। खाद्यान्न वितरण में किसी भी प्रकार कि अनियमितता पाये जाने पर संबंधित जन वितरण प्रणाली विक्रेता की अनुज्ञप्ति रद्द करने हेतु प्रस्ताव अनुमंडल पदाधिकारी को दे। अनुमंडल पदाधिकारी अविलंब कार्रवाई कर जिला आपूर्ति पदाधिकारी को सूचित करेगें।

(6) कूपन जमा/कूपन लिक्ड आवंटनः-

बैठक में जिलाधिकारी द्वारा खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार पटना के पत्रांक 7115 दिनांक 15.12.2016 से सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, मधेपुरा जिला को अवगत कराते हुए निदेशित

किया गया राशन/ किरासन कूपन योजनान्तर्गत जन वितरण प्रणाली विक्रेता द्वारा जमा किये गये भुगतानशुदा कूपन के आधार पर अगले माह का खाद्यान्न/किरासन तेल उपावंटन निर्गत करना सुनिश्चित करेगें। साथ ही प्रपत्र 22,23 एवं 09 में प्रत्येक माह के 05 तारीख तक अनिवार्य रूप से प्रतिवेदन जिला आपूर्ति कार्यालय को उपलब्ध करायेगे, ताकि आगामी मासिक आपूर्ति की समीक्षात्मक बैठक में इसकी समीक्षा की जा सकें।

इसी क्रम में जिलाधिकारी द्वारा वर्ष,2016-17 में वितरित राशन/किरासन कूपन के विरुद्ध लक्षित जन वितरण प्रणाली विक्रेता द्वारा जमा किये गये भुगतानशुदा कूपन के आधार पर खाद्यान्न का उपावंटन किया जा रहा या नही, कि जॉच हेतु प्रखंडवार जॉच करने का निदेश अनुमंडल पदाधिकारी,मधेपुरा/उदाकिशुनगंज /जिला आपूर्ति पदाधिकारी,मधेपुरा /जिलाप्रबंधक,रा0खा0नि0,मधेपुरा को निम्न विवरणी के अनुरूप दिया गया:-

| क्रमांक | प्रखंड का नाम | जॉच हेतु आवंटित प्रखंड |
|---|---|---|
| 1 | मधेपुरा | जिला आपूर्ति पदाधिकारी, मधेपुरा |
| 2 | सिंहेश्वर | |
| 3 | शंकरपुर | |
| 4 | गम्हरिया | |
| 5 | घैलाढ़ | अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा |
| 6 | मुरलीगंज | |
| 7 | कुमारखंड | |
| 8 | बिहारीगंज | अनुमंडल पदाधिकारी, उदाकिशुनगंज। |
| 9 | ग्वालपाड़ा | |
| 10 | उदाकिशुनगंज | |
| 11 | पुरैनी | जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, मधेपुरां |
| 12 | आलमनगर | |
| 13 | चौसा | |

**(7) पी0डी0एस0 दुकानों का युक्तिकरण:-**

समीक्षा के क्रम में यह ज्ञात हुआ कि पी0डी0एस0 दुकानों का युक्तिकरण नही है। युक्तिकरण नही होने के कारण पी0डी0एस0 दुकान से उपभोक्ताओं के द्वारा दुकान तक जाने की दूरी तथा दुकानों तक खाद्यान्न आने की सूचना ससमय प्राप्त नही होती है।

इस संबंध सभी प्रखंड आपूर्ति पदाध्कारी, मधेपुरा जिला को निदेश दिया गया कि वे जन वितरण प्रणाली दुकान से लाभुक को EB wise/वार्डवार countigious रूप में मैपिक करें। मैपिंक मे इस बात का अवश्य ध्यान रखा जाय जन वितरण प्रणाली की दूकान लाभूकों के बीच हो, ताकि पी0डी0एस0 दूकान हर गतिविधि पर लाभूक की नजर बनी रहें। जिला आपूर्ति पदाधिकारी अविलंब सुनिश्चित करायेगें।

**(8) निरीक्षणः–**

प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा जन वितरण प्रणाली विक्रेता का किये गये निरीक्षण को जिलाधिकारी द्वारा की गई समीक्षोपरांत सभी प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, मधेपुरा जिला को निदेश दिया गया कि वे अपने क्षेत्रान्तर्गत प्रखंड के कार्यरत जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं मे से प्रत्येक सप्ताह कम से 10 दूकानों का निरीक्षण कर विहित प्रपत्र में निरीक्षण प्रतिवेदन अनुमंडल पदाधिकारी तथा जिला आपूर्ति पदाधिकारी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निरीक्षण का फोटो SupplyWatch (Whatspp) पर भी अपलोड करें। इसके अतिरिक्त होटल/मिष्ठान भंडार की दूकानों में गैस सिलिण्डर की भी जॉच प्रत्येक सप्ताह की जाय।

अन्त में धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात् बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

जिला आपूर्ति पदाधिकारी,
मधेपुरा। 30/12/16

जिलाधिकारी
मधेपुरा। 30/12/16

ज्ञापांक....841........../आ0, मधेपुरा, दिनांक.....30/12/16

प्रतिलिपि :– जिला प्रबंधक,राज्य खाद्य निगम,मधेपुरा/सभी सहायक गोदाम प्रबंधक,राज्य खाद्य निगम,मधेपुरा जिला को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी,मधेपुरा जिला को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– क्षेत्र प्रबंधक,भारतीय खाद्य निगम,मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– अनुमंडल पदाधिकारी,मधेपुरा/उदाकिशुनगंज को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– उप निदेशक,खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति,कोशी प्रमंडल,सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– आयुक्त,कोशी प्रमंडल,सहरसा को सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपिः– जिला सूचना बिज्ञान अधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं जिला के वेवसाईट पर अपलोड करने तथा सभी संबंधितों को ई–मेल करने हेतु प्रेषित।

जिला आपूर्ति पदाधिकारी,
मधेपुरा। 30/12/16

जिलाधिकारी,
मधेपुरा। 30/12/16